

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-29/2017/1561/37-1-2017-3(27)/2014

लखनऊ:दिनांक: 28 जुलाई, 2017
कार्यालय-आदेश

डा० तेजपाल सिंह, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, कॉठ के विरुद्ध जनपद शाहजहांपुर में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण के प्रकरण में पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ऋण समायोजन के बाद की तिथि में निर्गत किये जाने आदि आरोपों के लिये ३०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-७ के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के श्री राज्यपाल एतद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

2- उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ जांच अधिकारी नामित किये जाने के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(डा० सुधीर एम० बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-29/2017/1561/(1)37-1-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) पशुपालन विभाग, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।